

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी  
पीठासीन अधिकारी-श्री सर्वेश्वर निम्बार्क , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 45/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बाबूपुरी पुत्र गोकलपुरी जाति स्वामी (पुजारी) निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1.अमृलाल पुत्र मिश्राराम 2.केवलराम पुत्र मिश्राराम 3.खेताराम पुत्र मिश्राराम (फौत) का.मु. 3/1- जितेन्द्र कुमार पुत्र खेताराम 3/2- अर्जुनराम पुत्र खेताराम 3/3- गोरधराम पुत्र खेताराम 3/4- भागो उर्फ भाग्यवती पुत्री खेताराम 4.अन्तरोंदेवी पत्नि मिश्राराम 5.गणपतराम पुत्र सताराम 6.राजूराम पुत्र सताराम 7.श्रवणकुमार पुत्र सताराम 8.बादलीदेवी पत्नि सताराम (फौत) 9.अशोककुमार पुत्र नरसींगाराम 10.श्यामलाल पुत्र नरसींगाराम 11.शान्तीलाल पुत्र नरसींगाराम 12.नारंगीदेवी पत्नि नरसींगाराम 13.ईश्वरलाल पुत्र मोमताराम 14.पुष्पादेवी पुत्री मोमताराम 15.रमेशकुमार मोमताराम 16.रेशमीदेवी पुत्री मोमताराम 17.रामलाल पुत्र मोमताराम 18.शारदादेवी पुत्री मोमताराम 19.राणीदेवी पत्नि मोमताराम 20.ताराराम पुत्र किस्तुराराम (फौत) 20/1- कान्तीलाल पुत्र ताराराम 20/2- जगदीश पुत्र ताराराम 20/3- बदामी देवी पत्नि ताराराम जातियान दर्जी निवासी महादेव नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 21.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- 1.श्री अर्जुनराम प्रजापत अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
- 2.श्री भंवरलाल सारण प्रतिवादी सं. 1,2 से 4 से7, 9 से 13, 15,17,19 की ओर से
- 3.प्रतिवादी सं. 21 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी

## निर्णय

दिनांक- 21.01.2026

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी ग्राम महादेव नगर के खसरा संख्या 193 रकबा 4.4657 हैक्टेयर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा की भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 20.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बारण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम महादेव नगर के खसरा संख्या 193 रकबा 4.4657 हैक्टेयर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा I नं.	रकबा हैक्टेयर	बीघा	किस्म	लगान	बरंग
1	बाबुपूरी पुत्र गोकलपुरी जाति स्वामी सा. चाडों की ढाणी खातेदार	महादेवनगर	193	0.4692	2-18	बा.सोयम	0.03	गुलाबी
2	अमृतलाल 1/12 केवलराम 1/12 पि. मिश्राराम अन्तरोदेवी पत्नि मिश्राराम 1/12 जितेंद्र कुमार 1/48 अर्जुनराम 1/48 गोरधनराम 1/48 भागु 1/48 पि. खेताराम गणपतलाल 1/9 राजूराम 1/9 श्रवणकुमार 1/9 पि. सताराम अशोक कुमार 1/12 श्यामलाल 1/12 शान्तीलाल 1/12 पि. नरसींगाराम नारंगीदेवी पत्नि नरसींगाराम 1/12 जाति दर्जी सा. देह खातेदार।	महादेवनगर	193	1.7266	10-13	बा. सोयम	0.11	हरा
			193	0.8633	5-07	बा. सोयम	0.05	
			योग	2.5899	16-00	बा. सोयम	0.16	
3	ईश्वरलाल 1/7 रमेश कुमार 1/7 रामलाल 1/7 पुष्पादेवी 1/7 रेशमीदेवी 1/7 शारदादेवी 1/7 पि. मोमताराम राणी देवी पत्नि मोमताराम 1/7 जाति दर्जी सा. देह खातेदार।	महादेवनगर	193	0.8633	5-07	बा.सोयम	0.05	लाल


	ताराराम पुत्र किस्तुराराम (फौत) के कायम मुकाम:- कान्तीलाल 1/3 जगदीश 1/3 पि. ताराराम बदामी देवी पत्नि ताराराम 1/3 जाति दर्जी सा. देह खातेदार।	महादेवनगर	193	0.3941	2-09	बा.सोयम	0.02	आसमानी
5	अमृतलाल 1/20 केवलराम 1/20 पि. मिश्राराम अन्तरोदेवी पत्नि मिश्राराम 1/20 जितेन्द्र कुमार 1/80 अर्जुनराम 1/80 गोरधनराम 1/80 भागु 1/80 पि. खेताराम गणपतलाल 1/15 राजूराम 1/15 श्रवणकुमार 1/15 पि. सताराम अशोककुमार 1/20 श्यामलाल 1/20 शान्तीलाल 1/20 पि. नरसींगाराम नारंगीदेवी पत्नि नरसींगाराम 1/20 ईश्वरलाल 1/35 रमेशकुमार 1/35 रामलाल 1/35 पुष्पादेवी 1/35 रेशमीदेवी 1/35 शारदादेवी 1/35 पि. मोमताराम राणीदेवी पत्नि मोमताराम 1/35 कान्तीलाल 7/230 जगदीश 7/230 पि. ताराराम -बदामीदेवी पत्नि ताराराम 7/230 जाति दर्जी सा. देह बाबुपुरी पुत्र गोकलपुरी 5/46 जाति स्वामी सा. चाडों की ढाणी खातेदार।	महादेवनगर	193	0.1492	0-18	बा.सोयम	0.01	पीला

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी